न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा

पीठासीन अधिकारी का नाम :— संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस)
प्रकरण संख्या :— 67 / 2019
दायर दिनाकं :— 23.10.2019
निर्णय दिनांक :— 22.07.2021

उनवान

1. छीतर पुत्र घासी जाति मीना निवासी काली पहाडी तहसील दौसा जिला दौसा

(प्रार्थी)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा जिला दौसा।
2. रामकरण पुत्र घासी
3. लक्ष्मीनारायण पुत्र घासी
   जाति मीना निवासी काली पहाडी तहसीलदार दौसा
4. रामकिशोर पुत्र मोतीलाल
5. प्रभाती लाल पुत्र गंगाधर
   जाति मीना निवासी कालीपहाडी तहसीलदार दौसा

(अप्रार्थी)

उपस्थिति :— श्री राकेश जैमन अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णयः— दिनांक 22.07.2021

प्रार्थना—पत्र अ0 धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी कराने

यह कि प्रार्थी छीतर पुत्र घासी जाति मीना निवासी ग्राम कालीपहाडी द्वारा प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि ग्राम दांतली तहसील दौसा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 68 / 1 रकबा 0.30 है0, खसरा नम्बर 68 / 2 रकबा 0.44 है0 खसरा नम्बर 69 रकबा 0.95 है0 प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 4 व 5 का प्रार्थीगण की कृषि भूमि से किसी किस्म का कोई तालुक व वास्ता नही हैं। परन्तु आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न करते है। इसलिए प्रार्थी अपनी कृषि भूमि की पैमायश कराकर पत्थरगढी कराना चाहता है, ताकि सीमा संबंधी भविष्य में कोई विवाद नही हो, अतः तहसीलदार दौसा को उक्त भूमि की पत्थरगढी कराने के आदेश देने का अनुरोध किया गया है।

प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया [illegible] गई। अप्रार्थीगण संख्या—2 लगायत 5 की ओर से जवाब [illegible] श कर खसरा नम्बर 68 / 1 रकबा 0.30 है0, खसरा नम्बर 68 / 2 रकबा [illegible] खसरा नम्बर 69 रकबा 0.95 वाके ग्राम दांतली [illegible] ओर पत्थरगढी कराने हेतु सहमति प्रदान की गई है। अप्रार्थी [illegible] कोई एतराज व आपत्ति नही है। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 16:53:55 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (रा.)

प्रार्थना–पत्र के साथ सीमाज्ञान रिपोर्ट संलग्न नही होना बताया है तथा पत्थरगढी का आदेश देना न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे बताया है। हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध मौका पर्चा दिनांक 26.06.2019 के अनुसार उक्त खसरा नम्बरो का दिनांक 26.06.2019 को सीमाज्ञान कराया गया था, किन्तु उक्त खसरा नम्बर के पश्चिम दिशा के खातेदार सन्तुष्ट नहीं हुए, जिससे सम्पूर्ण सीमाज्ञान नही हुआ। उक्त खसरा नम्बर दो (ग्रामों कालीपहाडी व ग्राम दांतली) की सीमा पर स्थित है। उक्त खसरा नम्बरो की पत्थरगढी करवाने में अप्रार्थीगणों को कोई आपत्ति नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 68/1 रकबा 0.30 है0, खसरा नम्बर 68/2 रकबा 0.44 है0 खसरा नम्बर 69 रकबा 0.95 वाके ग्राम दांतली की पैमाईश करवाकर पत्थरगढी करवाई जावे।

प्रार्थी के अधिवक्ता को पत्थरगढ़ी प्रार्थना–पत्र पर सुना गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड को अवलोकन किया गया। प्रार्थी का पत्थरगढ़ी प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी का पत्थरगढ़ी प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार दौसा को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी की ग्राम कालीपहाडी व ग्राम दांतली में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 68/1 रकबा 0.30 है0, खसरा नम्बर 68/2 रकबा 0.44 है0 खसरा नम्बर 69 रकबा 0.95 भूमि की पत्थरगढ़ी करने हेतु अनुभवी पटवारियो/गिरदावरों की टीम गठित की जाकर पत्थरगढ़ी की जावे तथा प्रार्थी से नियमनुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। सीमाज्ञान/पत्थरगढी के दौरान अगर पुलिस जाप्ते की जरूरत हो तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। पालना हेतु तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तकमिल प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 16:53:55 IST
Reason: SelfAttested